:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–06/2023

सुन्दरलाल पुत्र तेजा जाति मीणा उम्र बालीग निवासी पोहरीखातुरात तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज

–वादी

वनाम

1 कान्तीलाल पुत्र सुरमाल जाति मीणा
2 नाथी पत्नी स्व. सुरमाल जाति मीणा
3 मणि पुत्री सुरमाल जाति मीणा
4 लक्ष्मीचन्द पुत्र सुरमाल जाति मीणा
5 शारदा पुत्री सुरमाल जाति मीणा
6 हाजा पुत्र सुरमाल जाति मीणा निवासीयान पोहरीखातुरात तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज
7 श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार झौथरीपाल डूँगरपूर

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 53, 92क, 209 रा.का. अधिनियम

उपस्थित :–

1 **श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता वादी**

2 **श्रीकान्त जैन अधिवक्ता प्रतिवादीगण**

:: निर्णय :: दिनांक 15/05/2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी कब्जे का त की भूमि गॉव पोहरीखातुरात कें जमाबन्दी खाता सख्या 234 कें खसरा सख्या 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1819, 1821, 1837, 2059,कुल खसरा किता 17 का कुल रकबा 1.4636 हैक्टेयर भूमि है, जिसमें वादी का 1/12 वॉ हिस्सा है जो दर्ज रिकार्ड है एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है। प्रतिवादीगण वादी के मृत भाई सुरमाल की सन्ताने एवं पत्नी है कि वादग्रस्त आराजी जो बिन्दु सख्या 1 में वर्णित की गई है जिस पर वादी के पिता के जीवन काल से मौके पर आपसी बटवारे किए हुए है इसी अनुसार मौके पर काबीज होकर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हक हिस्से में काबीज होकर काश्त करते आ रहे हे वादग्रस्त आराजी पर मौके पर आपसी बटवारे/काबीज अनुसार रिकार्ड में बटवारा कर रिकार्ड में दर्ज किया जाना आव यक है। वादी व प्रतिवादीगण का मौके पर आपसी बटवारा किया हुआ है, किन्तु रिकार्ड में दर्ज नहीं हे,वादी द्वारा प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि तहसील कार्यालय जाकर वादग्रस्त आराजी का

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

रिकोर्डेड बटवारा करवाते है ,जिस पर प्रतिवादीगण तहसील कार्यालय में नहीं आ रहे है तथा बार–बार टालम टोल किया जा रहा है, जिससे यह प्रतित होता है कि वे रिकोर्डड बटवारा नहीं करवाना चाहते है इस प्रकार वाद हेतुक निरन्तर उत्पन्न हो रहा है। इसलिए बटवाडा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है वाद ग्रस्त भूमि मे वादी व प्रतिवादीगण के बटवारे हो जाने पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से की भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग व काश्त कर सकेंगें। ऐसी परिस्थति में वादी का वाद ग्रस्त भूमि में से हिस्सा अलग किया जाकर अलग खाता कायम किया जावे ताकि वादी अपनी इच्छानुसार काश्त कर उपज प्राप्त कर सके। कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस बात की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है कि वह वादग्रस्त भूमि का बंटवारा पूर्व किसी प्रकार का विकय हस्तान्तरण किसी भी व्यक्ति संस्थान को न स्वयं करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे भूमि की किस्म परिवर्तन न करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे वाद ग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से पर निर्माण न स्वयं करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे वादी के काश्त कार्य मे रूकावट पैदा न करें तथा दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा अपने हिस्से को बेचा जाता है या किस्म परिवर्तन कराई जाती है तो विकय किये जाने वाले रकबे या आवादी परिवर्तन किये जाने वाले रकबे को प्रतिवादीगण के हिस्से से कम किया जाकर उस अनुरूप बटवाडा किया जावें। यह कि वादग्रस्त भूमि जिसका वर्णन वाद के कालम सं 1 मे किया है वाद मे अंकित व राजस्व रेकार्ड अनुसार वादी का हिस्सा अलग किया जाकर बटवारा कायम किया जाकर भूमि अलग अलग खाते दर्ज किये जाने डिकी प्रदान की जानी आवश्यक हे। प्रतिवादीगण बटवाडा कराने तहसील में उपस्थित नहीं हो रहे है इस हेतु वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वाद कारण गत 15 दिवस से प्रतिवादीगण द्वारा बटवाडा कराने तहसील कार्यालय जाने से इंकार किये जाने से लगातार पैदा हो रहा है। अतः वादी वाद प्रस्तुत कर निम्न दादरसी चाहता हैः– क.————कि वादग्रस्त भूमि जिसका वर्णन वाद के कालम सं 1 मे किया है गॉव पोहरीखातुरात कें जमाबन्दी खाता सख्या 234 कें खसरा सख्या 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1819, 1821, 1837, 2059 कुल खसरा किता 17 का कुल रकबा 1.4636 हैक्टेयर भूमि है, मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार वादी का हिस्सा अलग किया जाकर बटवारा कायम किया जाकर भूमि अलग अलग खाते दर्ज किये जाने डिकी प्रदान की जानी आवश्यक है। ख.———— कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस बात की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादग्रस्त भूमि का बंटवारा पूर्व किसी प्रकार का विकय हस्तान्तरण किसी भी व्यक्ति संस्थान को न स्वयं करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे भूमि की किस्म परिवर्तन न करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे वाद ग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से पर निर्माण न स्वयं करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे वादी के काश्त कार्य मे रूकावट पैदा न करें तथा दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा अपने हिस्से को बेचा जाता है या किस्म परिवर्तन कराई जाती है तो विकय किये जाने वाले रकबे या आबादी परिवर्तन किये जाने वाले रकबे को प्रतिवादीगण के हिस्से से कम किया जाकर उस अनुरूप बटवाडा किया जावें।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 01 से 06 की ओर से अधिवक्ता श्रीकान्त जैन ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, वादी एवं प्रतिवादीगण ने बटवारा कर खाते अलग अलग कायम कराने राजीनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1–6 के बीच आपसी राजीनामा हो गया है। तदनुसार वादपत्र के कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का बटवाडा कर जमाबन्दी में वर्णित हिस्से अनुसार खाते अलग कायम किए जावे, मौके पर पक्षकारगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है

अधिकारी
तवाडा

Scanned with OKEN Scanner

वादी व प्रतिवादीगण 1/2 – 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है, राजीनामा तस्दीक कर बटवारा कर खाते अलग–अलग कायम किए जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। वादी का वाद बटवारा कर खाते अलग–अलग कायम करने का होने से वादी का वाद स्वीकार किया गया।

अतः गांव पोहरीखातुरात कें जमाबन्दी खाता सख्या 234 कें खसरा सख्या 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1819, 1821, 1837, 2059, कुल खसरा किता 17 का कुल रकबा 1.4636 हैक्टेयर भूमि वादी–प्रतिवादीगण की है, वादग्रस्त आराजी का मौके पर कब्जे काश्त एवं जमाबन्दी दर्ज हिस्से को ध्यान में रखते हुए बटवारा किया जावे। तहसीलदार तहसील झौथरीपाल को आदेशित किया जाता है वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव पक्षकारो के कब्जे काश्त के अनुसार तैयार कर, विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में अविलम्ब पेश करे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के बटवारे में प्राप्त होने वाली भूमि में वादी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। ऐसा कोई प्रतिकूल कार्य नहीं करे, जिससे वादी के हक हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पडे, वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

निर्णय आज दिनांक 15/05/2024. को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

बटवारे के वाद में प्राथमिक डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सीमलवाडा जिला डूँगरपुर

पीठासीन अधकारी श्री राकेश कुमार न्योल .

श्री सुन्दरलाल बनाम कान्तिलाल आदि

दावा बाबत् बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण सख्याः– 06 / 2023

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार कलाल उप. और प्रतिवादीगण की ओर से श्रीकान्त जैन अधिवक्ता। आज दिनांक 15 / 05 / 2024 को पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार न्योल के समक्ष बटवारे हेतु प्राथमिक डिक्री के लिए पेश होने पर ओदश किया जाता है वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री दी जाती हैं।

गॉव पोहरीखातुरात कें जमाबन्दी खाता सख्या 234 कें खसरा सख्या 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1819, 1821, 1837, 2059, कुल खसरा किता 17 का कुल रकबा 1.4636 हैक्टेयर भूमि वादी–प्रतिवादीगण की है, वादग्रस्त आराजी का मौके पर कब्जे काश्त एवं जमाबन्दी दर्ज हिस्से को ध्यान में रखते हुए बटवारा किया जावे। तहसीलदार तहसील झोथरीपाल को आदेशित किया जाता है वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव पक्षकारो के कब्जे काश्त के अनुसार तैयार कर, विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में अविलम्ब पेश करे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के बटवारे में प्राप्त होने वाली भूमि में वादी के शान्ती पूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। ऐसा कोई प्रतिकूल कार्य नहीं करे जिससे वादी के हक हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पडे, वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे

आज दिनाक 15 / 05 / 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1. वाद के लिए स्टाम्प			1 स्टाम्प वकालतनामा		
2 स्टाम्प वकालतनामा			2 स्टाम्प अरजी के लिए		
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			3. महनताना वकील		
4 महनताना वकील			4 खर्चा गवाहन		
5. खर्चा गवाहान			5 आदेशिका की तामील		
6 कमिश्नर की फीस			6 कमिश्नर की फीस		
7 आदेशिका की तामील					
योग					

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner